कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ

क्रमांकः—भूमि रूपान्तरण/2020/1886 दिनांकः— 3-6-20

—:: संपरिवर्तन आदेश ::—

आवेदक के.आर.मैमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट संगरिया जरिये अध्यक्ष राजेश कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति बिश्नोई संगरिया द्वारा अभिधृति में धारित निम्न कृषि भूमि को राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 अधीन अकृषि प्रयोजन <u>व्यवसायिक (शिक्षण व्यवस्था)</u> संपरिवर्तन हेतु निवेदन करने पर तहसीलदार संगरिया, अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड संगरिया, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका संगरिया, सहायक अभियन्ता जोविविनिलि उपखण्ड संगरिया एवम् ग्राम पंचायत बोलावाली से प्राप्त रिपोर्ट व अनापति प्रमाण पत्र, संलग्न आधारभूत दस्तावेजों के आधार पर आवेदक द्वारा आवेदित भूमि का संपरिवर्तिन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ निम्नानुसार है—

1		आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूर्ण पता :—	के.आर.मैमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट संगरिया जरिये अध्यक्ष राजेश कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति बिश्नोई संगरिया
2		क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है :—	नहीं
3		संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :—	
	क	ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
	ख	भूमि का खसरा और प्रत्येक खसरा का क्षेत्रफल (हैक्टेयर/ वर्गमीटर में)	चक 16 बीजीपी प.न. 172/163 मु.न. 36 के किला न. 7/2/0.154, किला न. 8/2/0.082, किला न. 13/2/0.220, किला न. 14/ 0.253, किला न. 17/0.164, किला न. 18/0.127 है. कुल 1.00 हैक्टेयर यानि 10000 वर्गमीटर
	ग	प्रत्येक खसरा के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल का विवरण (हैक्टेयर/वर्गमीटर में)	चक 16 बीजीपी प.न. 172/163 मु.न. 36 के किला न. 7/2/0.154, किला न. 8/2/0.082, किला न. 13/2/0.220, किला न. 14/0.253, किला न. 17/0.0607, किला न. 18/0.0353 है. कुल 0.805 हैक्टेयर यानि 8050 वर्गमीटर रकबे का संपरिवर्तिन किया जाता है तथा आवेदक की किला नं. 17 व 18 में सड़क सीमा में आने वाली भूमि उनकी खातेदारी भूमि रहेगी।

टिप्पणी :— अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दशोते हुए राजस्व नक्शे के सुसगंत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न।

4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	व्यवसायिक (शिक्षण व्यवस्था)		
5	संदेय प्रीमियम की दर	251/— रूपये प्रति वर्गमीटर		
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान संख्या	दिनांक	रूपये
		38903993	17.03.2020	808220/—
7	चालान की संख्या तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, तो जमा कराई गई रकम	शून्य		
8	ब्याज की राशि यदि कोई जमा करवायी गई हो तो चालान नम्बर व तारीख सहित	शून्य		
9	क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है	नही		
10	अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो तो :—	नहीं		

नोट :— उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन होगा:—

1 उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
2 यदि आवेदक इस आदेश को जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के अन्दर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
3 नियम – 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
4 लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5 इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदंडानुसार सडक के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष के हित में छोडनी होगी तथा निर्धारित सीमा के पश्चात ही निर्माण किया जावेगा। भविष्य में सड़क की चौड़ाई बढाये जाने के दौरान यदि सड़क सीमा मे कोई निर्माण पाया जाता है तो उसे आवेदक को अपने खर्चे पर हटाना होगा तथा आवेदक द्वारा मुआवजा हेतु कोई क्लेम नहीं किया जायेगा।
6 राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/आदेशों की पालना हेतु आवेदक बाध्य होगा।
7 उपरोक्त सभी शर्तो की पालना प्रार्थी द्वारा की जावेगी। किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावेगी जिसके लिये आवेदक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
8 प्रार्थी इस संपरिवर्तित भूमि का उपयोग आवासीय या अन्य प्रयोजन हेतु नहीं करेगा।
9 प्रार्थी द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 वायु (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं उक्त अधिनियमों के तहत बने नियमों आदि से सभी सम्बंधित प्रावधानों की दृढतापूर्वक पालना की जावेगी।
10 प्रस्तावित औद्योगिक ईकाई से होने वाले अपशिष्ट का निष्पादन प्रार्थी को स्वयं के स्तर पर करना होगा।
11 सपंरिर्वतन आदेश को भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 (1) बी के तहत पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
12 प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.6(26)REV.6/2014/33 जयपुर दिनांक 06.10.2016 के निर्देशानुसार पौधारोपण करेगा।

उप पंजीयक संगरिया जिला हनुमानगढ़

(माँगी लाल)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

क्रमांकः–भूमि रुपान्तरण/2020/ 1887–93 दिनांकः– 3-6-20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ को सूचनार्थ
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को प्रेषित कर लेख है कि संपरिवर्तन आदेश का पंजीयन उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।
3. उप पंजीयक संगरिया को भेजकर लेख है कि नियमानुसार पंजीयन शुल्क जमा करें।
4. सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग उपखण्ड संगरिया को भेजकर लेख है कि उक्त रकबा की बारी काटी जावें।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत बोलावाली को सूचनार्थ।
6. आवेदक के.आर.मैमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट संगरिया जरिये अध्यक्ष राजेश कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति बिश्नोई संगरिया
7. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया
जिला हनुमानगढ़

नोटः सपरिवर्तन आदेश क्रमांक 1886 दिनांक 03.06.2020 के बिन्दु संख्या 03 के उपबिन्दु 'ख' व 'ग' में चक 16 बी.डी.पी. के खाता संख्या 46/28 व जमाबंदी सम्वत् 2070-73 भी पढ़ा जावे। शेष आदेश यथावत रहेगा।

17.07.2020
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
संगरिया